

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
अपील(सू.का.अ)संख्या 69/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.सोमा0
पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार
GCMS No-2022/118

तारीख हुकम
17.8.2022

हुकम या कार्यवाही नय इनिशियल जज

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 14.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-


1. सम्पूर्ण सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर जितने भी उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ दिनांक 1.1.2011 से 14.5.2022 तक रसद सामग्री घोटाले-कालाबाजारी की जितनी भी शिकायत समस्त माध्यम से जिला रसद अधिकारी कार्यालय सवाईमाधोपुर को प्राप्त हुई है उन समस्त सम्पूर्ण शिकायती पत्रों की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत तय निर्धारित समय सीमा में आवेदक को प्रमाणित नकल उपलब्ध करावे।
2. उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन नम्बर 11285 एवं 11290 राजेश कुमार शर्मा (निलम्बित-निरस्त) उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के पास कब से कब तक रही थी। समस्त दस्तावेजों की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/755 दिनांक 28.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण तलाश किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण जरिये पत्रांक 569 दिनांक 20.6.2022 से अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में चाही गयी सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना (उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों पत्रों की प्रति एवं पोस मशीन नम्बर 11285 एवं 11290 राजेश कुमार शर्मा के पास कब से कब तक रही है) अपीलान्त को 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जमादेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।




(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर